

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारिीन अधिकाऱी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 841 रांन 2020 ऑन लाईन:-2020/01389

अनवान :-

1. नरेशसिह पुत्र जगमालसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाग

वादी

1. जगमालसिह पुत्र पन्नेसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
2. बंजरग पुत्र जगमालसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
3. रूपा पत्नी स्व सुमेरसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
4. नीरज पुत्र सुमेरसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
5. नीरज पुत्री सुमेरसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
6. पूजा पुत्री सुमेरसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
7. सुमन पत्नी जगमालसिह जाति राजपूत साकिन लाखारार तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा लाखारार के खाता संख्या 87/82 की कुल 8.7260 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र बख्तावर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र बख्तावर के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।


वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र बख्तावर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें जगमालसिह के पुत्र/पुत्रीयो का बराबर का हक हिस्सा है जगमालसिह के एक पुत्र सुमेरसिह का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जगमालसिह की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई गर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की सराके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माई/पिता/पति वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल गिराल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल गिराल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 87/82 की कुल 87260 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें जगमलासिंह के पुत्र/पुत्रीयो का बराबर का हक हिस्सा है जगमलासिंह के एक पुत्र सुगेरसिंह का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।


प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जगमालसिंह की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्वध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 87/82 की कुल 87260 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जगावन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नोसिंह पुत्र बख्तावर के देहान्त होने के बाद विरास्तन


उपसंज अधिकारी
बोहर


से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को वरावर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर वसपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा लारखारार के खाता संख्या 87/82 की कुल 8.7260 हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3, 4 दोनो बहिव 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुवत राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अन्वयान :-

1. नरेशसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जगमालसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
2. बंजरग पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
3. रूपा पत्नी स्व सुमेरसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
4. गीरज पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
5. गीरज पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
6. पूजा पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
7. सुमन पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत साकिन लाखासर तहरील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहरीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 841 सन 2020 निर्णय दिनांक- 04/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोवर उपखण्ड अधिकारी (राजरव) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सोही मौजा सोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 87/82 की कुल 8.7260 हैक्ठूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 दोनों बहिव 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजरव रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकभौलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजरव रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजरव)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर